



  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं० 61] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 7, 1981/ माघ 18, 1902  
No. 61] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 7, 1981/MAGHA 18, 1902

---

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

---

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1981

का. आ. 92 (अ) :—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा फरवरी, 1981 के 8वें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध करल राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्—

“ज़िला मालाप्पुरम के ताल्लुक पोन्नानी में

राजस्व ग्राम इलावाधिरुथी, वाट्टाकुलम तथा

ध्वानुर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र और  
ज़िला मालाप्पुरम के ताल्लुक तिरूर में  
राजस्व ग्राम थिरुनावया तथा नाडुवाट्टम के  
अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ।”

[संख्या एस.-38013/2/81-एच. आई.]

एन. बी. चावला, उप सचिव

## MINISTRY OF LABOUR

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 1981

**S.O. 92(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 8th day of February, 1981 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and section 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Kerala, namely :—

“The areas within the revenue villages of Elavathiruthy, Vattakulam and Thvanur in Ponnani Taluk of Malappuram District and the areas within the revenue villages of Thirunavaya and Naduvattom in Tirur Taluk of Malappuram District.”

[No. S-38013/2/81-HI]  
N. B. CHAWLA, Dy. Secy.